न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या–12/2022

सुरेश तुरी

बनाम्

हिरदे तुरी

–: आदेश :–

08/02/?

वर्तमान वाद की प्रक्रिया सुरेश तुरी, पिता–स्व0 भगु तुरी, ग्राम–ओल्हेपाट, पो0–झाबर, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता हिरदे तुरी, पिता–स्व0 महादेव तुरी, ग्राम–ओल्हेपाट, पो0–झाबर, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार के साथ मौजा–ओल्हेपाट, खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–575 रकबा–$0.22\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक–914 दिनांक 10.11.2022 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि पंजी–II में रैयत कजरू तुरी व भगु तुरी व नगरथ तुरी व रूनिया देवी के नाम से दर्ज है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदक के नाम से प्रस्तावित भूमि का मांग नहीं चल रहा है। साथ ही आवेदक कितना भूमि धारित करता है यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की

धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 13:03:47 +05:30
Location: 10.93.47.5